

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 28/2022

दाखल दिनांक:- 30.08.2022

जीसीएमएस नं. 2022/248

उपखण्ड

रुमाली बेबा हरमुख जाति जाटव निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली  
राजस्थान

—प्राधीगण-02

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली

—अप्रार्थीगण-03

प्रार्थना पत्र बाबत 136

निर्णय

दिनांक:- 26.7.24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 28/2022 रुमाली बनाम स्टेट प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली

